नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड

(वाणिज्य विभाग)

कार्यालय आदेश– Com/Resolution -84/13 / 1313 दिनांक 10.06.2013

विषय :–	उपभोक्ताओं के विवादित / दोषपूर्ण विपत्रों से संबंधित विवाद के निष्पादन हेतु नामित पदाधिकारियों के प्राधिकरण के सम्बन्ध में।

Subject:- Authorization of Designated Officers to Settle the Disputed/Erroneous Bills.

वर्तमान में उपभोक्ताओ को दोषपूर्ण / विवादित विपत्रों Disputed/Erroneous Bills में सुधार के लिए सक्षम / प्राधिकृत पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अनिर्णय एवं स्पष्ट निर्णय के कारण उपभोक्ताओं के विवादित / दोषपूर्ण विपत्रों का त्वरित निष्पादन नहीं हो पा रहा है। इसके कारण बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता एवं स्टैण्डर्स ऑफ परफोरमेन्स के प्रावधानों का भी अनुपालन नहीं हो पा रहा है।

बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता एवं स्टैण्डर्स ऑफ परफोरमेन्स के तत्संबंधी प्रावधानों तथा अन्य प्रभावी विधिक अथवा संहितीय प्रावधानों के सम्यक एवं समग्र अनुपालन के लिए निम्नलिखित के लिए विभिन्न श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए निम्नलिखित पदाधिकारियों को बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता के के अधीन डेजिग्नेटेड (Designated) पदाधिकारी अभिनामित करते हुए उन्हें उपभोक्ताओं के विपत्र सुधार के लिए प्राधिकृत किया जाता है :–

क्र0	कोटि / श्रेणी	लाईसेन्सी के नामित पदाधिकारी
1	उच्च श्रेणी तथा एलटीआईएस उपभोक्ताओं को छोड़कर सभी कोटि / श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए	विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल (शहरी) को छोड़कर संबंधित विद्युत आपूर्ति अवर प्रमण्डल के सहायक विद्युत अभियन्ता / संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल (शहरी)
2.	एलटीआईएस के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए	संबंधित विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल के विद्युत कार्यपालक अभियन्ता
3.	उच्च विभव के सभी श्रेणियों के उपभोक्ताओं के लिए	संबंधित विद्युत आपूर्ति अंचल के विद्युत अधीक्षण अभियन्ता

संशोधित बिलों की शुद्धता की जाँच संबंधित विद्युत कार्यपालक अभियन्ता, विद्युत आपूर्ति प्रमण्डल द्वारा किया जायेगा, जो संशोधित विपत्रों के सची में से प्रतिमाह 5 प्रतिशत संशोधित विपत्रों की जाँच मासिक आधार पर करेंगे।

यह आदेश दिनांक 01.06.2013 के प्रभाव से प्रभावी होगा। इस पर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीव्यूशन कंपनी लिमिटेड का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0 / –

मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य)